

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विषयान अनुभाग-2
संख्या 23 / XIII-II / 36(5) / 2009
देहरादून: दिनांक: 23 फरवरी, 2010


कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा जलागम विकास योजनाओं के लिए जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 के अनुपालन में जिला जलागम विकास इकाई (DWDU) का पृथक खाता खोले जाने हेतु सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार पंजीकृत कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय जिला जलागम परियोजना प्रबन्धन इकाई (DWPMU) के सदस्य सचिव जनपदवार नामित किये जाने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रम सं०	जिले का नाम	डी०डब्लू०पी०एम०यू० हेतु नामित सदस्य सचिव
1	उत्तरकाशी	प्रभागीय वनाधिकारी (टिहरी डेम-II प्रभाग- उत्तरकाशी)
2	टिहरी गढ़वाल	प्रभागीय वनाधिकारी (टिहरी डेम-I प्रभाग- टिहरी गढ़वाल)
3	चमोली	प्रभागीय वनाधिकारी (अलकनन्दा भूमि संरक्षण प्रभाग, गोपेश्वर, चमोली)
4	रूद्रप्रयाग	मुख्य कृषि अधिकारी रूद्रप्रयाग
5	पौड़ी गढ़वाल	प्रभागीय वनाधिकारी (सिविल सोयम, पौड़ी गढ़वाल)
6	देहरादून	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून
7	हरिद्वार	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार
8	ऊधमसिंहनगर	मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर
9	नैनीताल	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल
10	चम्पावत	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत
11	बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
12	अल्मोडा	प्रभागीय वनाधिकारी (सिविल सोयम प्रभाग अल्मोडा/भूमि संरक्षण प्रभाग रानीखेत)
13	पिथौरागढ़	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव ग्राम्य विकास विभाग भूमि, संसाधन मंत्रालय भारत सरकार।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजना से सम्बन्धित विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8. डी०डब्लू०पी०एम०यू० हेतु नामित समस्त सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।


(एम०एच० खान)
सचिव